


26.07-23 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी या वादी स्वयं उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर भी वकील वादी या वादी स्वयं उपस्थित नहीं हुए। अतः वादीगण का यह वादपत्र अदम पैरबी-अदम एजिरी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली का तर्तीब तकमील होकर दायित्व दफ्तर हो।

निर्णय लिखा जाकर जुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(अमिता बिशोई)  
R.A.S.